

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1983/ पौष 21, 1904

No 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1983/PAUSA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 11(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित आदेश का निर्णय करती है, अर्थात्—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए।

2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में —

(क) भाग 'क' अनुसूची 1 में क्रम सं 54 के सामने की निम्नलिखित प्रविष्टि हटा दी जाएगी —

“रभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण कागज, किन्तु 34 जी एस एम से कम तन हाथ से बने हुए कागज, और एयर मेन टिशु पेपर इसमें शामिल नहीं है।”

(ख) भाग 'ग' अनुसूची 1 में क्रम सं 103 के सामने की वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी —

“103 रभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण कागज किन्तु 34 जी एस एम से कम एयरमेन टिशु पेपर इसमें शामिल है, लेकिन हस्तनिर्मित कागज शामिल नहीं है।

[सं 9/9/82-ई-1/स ई(सी)ओ, 1977/एएम(254)]

मानि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 11th January, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 110,—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely —

1. This Order may be called the Exports (Control) First Amendment Order 1983

2. In the Exports (Control) Order, 1977 —

(a) In Part 'A' Schedule I, the following entry against Sl. No. 54 shall be deleted —

“Writing and Printing Paper all sorts, excluding hand-made paper and Airmail Tissue Paper below 34 GSM”

(b) In Part 'B' Schedule I, the existing entry against Sl. No. 103 shall be substituted by the following entry —

103 Writing and Printing Paper all sorts including Airmail Tissue Paper below 34 GSM, excluding hand-made paper

[F No 9/9/82 E 1/No 1(C)O, 1977 AM(254)]

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports & Exports